पत्रांक 1219 /XXVI/2012-0 5-8/8.0/88

क्रम संख्या–201

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

प्रति, डा0 पी0 एस0 गुसांई, सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बुधवार, 02 नवम्बर, 2011 ई0
कार्तिक 11, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
पंचायतीराज अनुभाग

संख्या 716/XII/2011/90(32)/2006
देहरादून, 02 नवम्बर, 2011

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) (समय–समय पर यथा संशोधित तथा उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 44 के साथ पठित धारा 237 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) नियमावली, 2007 में अग्रत्तर संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :–

उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) (संशोधन) नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) संशोधन नियमावली, 2011 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 5 का संशोधन — 2. उत्तराखण्ड जिला पंचायत (अपर मुख्य अधिकारी का केन्द्रीय संकाम्य संवर्ग) नियमावली, 2007 के नियम 5 में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान नियम के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा ; अर्थात् –

स्तम्भ–एक वर्तमान नियम	स्तम्भ–दो एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
5(1) संवर्ग में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (क) 60 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत के कार्य अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) 20 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत के अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा. (ग) 20 प्रतिशत उप नियम (2) के अनुसार प्रतिनियुक्ति द्वारा ; (2) सरकार संवर्ग में किसी पद पर किसी सरकारी सेवक को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कर सकती है।	5(1) संवर्ग में किसी पद पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :– (क) 60 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत के कार्य अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा ; (ख) 40 प्रतिशत मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत के अभियन्ताओं में से पदोन्नति द्वारा ;

आज्ञा से,
डा0 पी0 एस0 गुसांई,
सचिव।

2011/11/04 14:37 #228 Page 01
FROM :ZPGARHWAL FAX NO. :01376232342 17 Nov. 2014 3:43PM P1